न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र 6ए/01/2022

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक अर्पित अग्रवाल तहसील वैर जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

श्री तेजसिंह उचित मूल्य दुकानदार, ग्रांम हिसामड़ा, पंचायत गांगरोली तहसील वैर

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जप्त शुदा खाद्यान्न का अन्तरिम निस्तारण करने बाबत्

उपस्थित :–

1–पैरोकार रसद प्रवर्तन अधिकारी,

2–श्री पंकज कुमार अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 12.7.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के विरुद्व इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 9.5.2022 को अप्रार्थी की दुकान पर पहुंच कर जांच की गई। मौके पर पोस मशीन में नियमित श्रेणी का 27.90 क्वि. गेंहू एवं अतिरिक्त श्रेणी का 33.46 क्वि0 इस प्रकार कुल 61.36 क्वि.. गेंहू अंकित था, जब कि दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर कुल 70 क्वि0 उपलब्ध पाया गया। इस प्रकार मौके पर 8.64 क्वि. गेंहू अधिक पाया गया, जिसके विषय में राशन डीलर श्री तेजसिंह द्वारा कोई संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया है। मई माह के पेटे काटे गये चालान की समस्त मात्रायें पोस मशीन में अपडेट हो चुकी है तथा उचित मूल्य दुकानदार द्वारा जून माह का कोई गेंहू प्राप्त नहीं होना बताया। इस प्रकार डीलर की उक्त अनियमितता राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उलंघन पाये जाने पर अधिक पायी गयी 8.64 क्वि. गेंहू की मात्रा को जप्त सरकार कर मौका परिस्थिति व सुरक्षा की दृष्टि से ग्रांम पंचायत जगजीवनपुर के दूसरे डीलर को सुपुर्दगी में दिया गया। अन्त में निवेदन किया है कि जप्त शुदा 8.64 क्वि. गेंहू को राजसात कर उसका अन्तरिम निस्तारण कराने के आदेश पारित करें।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को धारा 6बी ई.सी.एक्ट का नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया है। उभय पक्ष को सुना गया।

प्रार्थी पैरोकार रसद ने अपने कथनों में बताया कि दिनांक 9.5.2022 को अप्रार्थी डीलर की दुकान की जांच की गई, मौके पर वितरण कार्य बन्द था, दुकान खुलवाई गई। मौके पर पोस मशीन में नियमित श्रेणी का 27.90 क्वि. गेंहू, एवं अतिरिक्त श्रेणी का 33.46 क्वि0 इस प्रकार कुल 61.36 क्वि.. गेंहू अंकित था, जब कि दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर कुल 70 क्वि0 उपलब्ध पाया गया। इस प्रकार मौके पर 8.64 क्वि. गेंहू अधिक पाया गया, जिसके विषय में राशन डीलर श्री तेजसिंह द्वारा कोई संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया है। 8.64 क्वि क्विंटल अधिक गेंहू होने के बारे में राशन डीलर से पूंछा गया उनके द्वारा कोई संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया। पैरोकार रसद का तर्क है कि डीलर सिंघरावली से हिसामडा का रास्ता खराब बताता है और टेक्टर ट्रोली से गेंहू हिसामडा में उपभोक्ताओं को ट्रेक्टर ट्रोली से सिंधरावली जाकर लोगों को गेंहू वितरण करना बताता है, हिसामडा में आकर सिघंरावली के लोगों ने पोस मशीन पर इन्द्राज कर दिये थे उनका गेंहू प्रार्थी ट्रैक्टर ट्रोली से सिघरावली पहुंचाने जाता परन्तु जा नहीं पाया ये अधिक गेहूं सिंघरावली के लोगों का शेष बचा हुआ है जब डीलर अप्रार्थी सिंघरावली के उपभोक्ताओं को गेंहू वितरण के लिये ट्रेक्टर ट्रोली से सिंघरावली जाकर गेंहू का वितरण कर सकता है तो उसे हिसामडा में सिंघरावली के उपभोक्ताओं के पोस मशीन पर सत्यापन की क्यों आवश्यकता पड़ी। उनका तर्क है कि वह गेहूं के साथ अपनी पोस मशीन भी साथ ले जा सकता था और वही पर उपभोक्ताओं का पोस मशीन पर कार्यवाही कर वितरण भी कर सकता था। इस प्रकार अप्रार्थी के ये कथन झूंठे हैं, अप्रार्थी ने सिंघारवली के उपभोक्ताओं के फर्जी तरीके से पोस मशीन पर सत्यापन कर उनके गेंहू को वितरण नहीं कर कालाबाजारी की नियत से गेंहू बचाया है। अप्रार्थी का यह कृत्य उपभोक्ताओं के पोस मशीन पर अंगूठा निशानी सत्यापन कर उन्हें गेंहू का वितरण नहीं कर बदनियती कालाबाजारी की नियत से गेंहू बचाया है। अप्रार्थी डीलर का यह कृत्य अनियमितता राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उलंघन है। पैरोकार रसद ने अधिक मिले गेंहू को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक का कहना है कि अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने कथनों में अपने जबाब में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि डीलर के खिलाफ किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं है। अप्रार्थी डीलर द्वारा तीन गांव हिसामडा, गॉगरसौली व सिंघराली मे राशन वितरण का कार्य किया जाता है, प्रार्थी की दुकान ग्रांम हिसामड़ा में स्थित है। सिंघरावली से हिसामड़ा को जोड़ने वाला रास्ता काफी

.....3

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)

खराब है। सिंघरावली के जो उपभोक्ता ग्रांम हिसामड़ा आकर राशन ले जाने में सक्षम थे वे हिसांमड़ा आकर राशन लेकर जाते हैं। जो वृद्धजन विधवा, दिव्यांग साधन हीन व्यक्ति जो राशन ले जाने मे सक्षम नहीं थे, ऐसे सभी उपभोक्ताओं से डीलर द्वारा अपनी दुकान पर औपचारिकता पूरी करने के बाद राशन ग्रांम सिंघरावली में उपलब्ध कराया जाता था। अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि वक्त निरीक्षण जो 8.64 क्विंटल गेंहू अधिक मिला था वे सिंघरावली के उन्ही लोगों का था जिन्हें डीलर द्वारा अपने निजी साधन से ग्रांम सिंघरावली के उपभोक्ताओं को पहुंचाना था। इसलिये जप्त किया गया गेहूं वापिस डीलर को दिया जावे ताकि सम्बन्धित उपभोक्ताओं को वितरण किया जा सके। प्रार्थना पत्र धारा 6ए ई.सी. एक्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पैरोकार रसद एवं अभिभाषक अप्रार्थी के कथनों पर गौर किया गया। अप्रार्थी के जबाब का अध्ययन किया गया। अप्रार्थी की दुकान पर वक्त निरीक्षण मौके पर 8.64 क्वि. गेंहू अधिक पाया गया है। अप्रार्थी का कहना है कि–

> "..... ये गेंहू ग्रांम सिंघरावली के वृद्धजन विधवा, दिव्यांग साधनहीन व्यक्तियों का दुकान पर रखा हुआ था, जो राशन ले जाने में सक्षम नहीं थे, ऐसे सभी उपभोक्ताओं से डीलर द्वारा अपनी दुकान(हिसामड़ा) पर औपचारिकता पूरी कराने के बाद राशन ग्रांम सिंघरावली में उपलब्ध कराया जाना था.....। "

यानि डीलर द्वारा ग्रांम सिघांरावली के ऐसे सभी उपभोक्ताओं सामग्री वितरण सम्बन्धी सभी औपचारिकतायें पोस मशीन पर हिसामड़ा में ही करायी गई। यहाँ यह विचारानीय प्रश्न है कि जब डीलर उक्त ऐसे सभी उपभोक्ताओं को हिसामड़ा से ग्रांम सिघंरावली के लिये सामग्री ट्रेक्टर ट्रोली से वितरण के लिये ले जा सकता है तो उसे पोस मशीन अपने साथ सिंघारवली ले जाने में क्या दिक्कत थी, अगर उसे ग्रांम सिघरावली में सामग्री ले जाकर वितरण ही करना था तो उसे पोस मशीन पर वितरण सम्बन्धी सभी औपचारिकतायें ग्रांम हिसामड़ा नहीं कर ग्राम सिघरावली में ही उपभोक्ताओं से करानी चाहिये थी। ग्रांम हिसामड़ा में पोस मशीन पर खाना पूर्ती करना और उसके बाद अधिक मिला ग्रेहूं ग्रांम सिघरावली के उपभोक्ताओं का वितरण करने के लिये जाना बताना, डीलर का यह जबाब बाद की सोच के तहत पेश किया गया है। ये जबाब प्रार्थी ने अपने आरोप से बचने के लिये झूठा बनाया गया है। बल्कि सच तो यह है कि अप्रार्थी डीलर ने कम तौलने के कृत्य को छुपाने के लिये ये मनगढ़त झूठा जबाब पेश किया गया है। यह तथ्य निरीक्षक रसद की फर्द मोका निरीक्षण जप्ती एवं सुपुर्दगी दिनांक 9.5.2022 से स्पष्ट है :–

.....4

"……दिनांक 9.5.2022 को श्रीमान जिला रसद अधिकारी, भरतपुर के निर्देश पर तहसील वैर ग्रांम पंचायत गागरोली (हिसामड़ा) स्थित उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किया गया……दुकान में इलैक्ट्रोनिक कॉटे पर प्रमाणित 5 किलो का बांट रखने पर उस पर (5.150 Kg) प्रति 5 Kg पर 150 ग्रांम अधिक बजन प्रदर्शित हो रहा है इस प्रकार राशन डीलर द्वारा प्रति यूनिट 10 Kg. वितरण के हिसाब से लगभग 300 ग्रांम प्रति यूनिट खाद्याान्न उपभोक्ताओं को कम वितरण किया जा रहा है……।"

प्रवर्तन निरीक्षक के फर्द मौका कार्यवाही से यह निर्विवाद है कि अप्रार्थी डीलर द्वारा गरीब उपभोक्ताओं को मिलने वाली खाद्य सामग्री को कम तोला/ दिया जारहा है। फर्द मौका कार्यवाही पर उपस्थित मौतविरान के हस्ताक्षर हो रहे हैं। यानि वक्त निरीक्षण डीलर की दुकान पर जो अधिक गेंहू मिला है वह डीलर द्वारा उपभोक्ताओं कम तोल कर कालाबाजारी करने की नियत से बचाया गया है अप्रार्थी का यह कृत्य सर्वथा निदंनीय है और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के विरुद्व दण्डनीय अपराध है। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट काविल स्वीकार रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा स्वीकार किया जाता है। जप्त किये गये अधिक गेंहू 8.64 क्वि0 गेंहू को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त गेहूं को नियमानुसार उपभोक्ताओं को कीमतन वितरण कराया जाकर वितरण से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करावें। निर्णय की प्रति पालानार्थ जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12–07–2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर